## अनुदेश / Instructions :

- 1. जीवित होने का प्रमण पत्र प्रपत्र में सभी पेंशन भोगी, जिसमें दो बच्चे भी शामिल है, द्वारा प्रत्येक वर्ष नवम्बर माह में जमा किया जाना चाहिए। / The Life Certificate should be furnished in the format by all the Pension beneficiaries including children pensioner every year in the month of November;
- 2. प्रत्येक पेंशन भोगी द्वारा अलग प्रमाण पत्र जमा करना चाहिए।/Separate Certificate should be given for each pensioner:
- 3. यह प्रमाण पत्र उस बैंक शाखा के प्रबन्धक, जहां से पेंशन संवितरित किया जाता हो, द्वारा दिया जा सकता है।/ Certificate may be given by the Manager of the Bank by which the pension is disbursed;
- 4. पुर्निविवाह नहीं करने का प्रमाण पत्र विधुर द्वारा प्रत्येक वर्ष दिया जाना है। विधवा पेंशनर को यह प्रमाण पत्र सिर्फ एक बार पेंशन शुरू होने के समय जमा करना है।/Certificate of Non-remarriage is to be furnished every year by widower pensioner only Widow Pensioner is to furnish it at the time of commencement of pension only.
- 5. प्रमाण पत्र दो प्रति में जमा किया जाना चाहिए।/This certificate should be furnished in duplicate.